

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA), FEB. 17, 2012
(MAGH. 28, 1933 SAKA)

भाग-III

हरियाणा सरकार

वित्तण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 फरवरी, 2012

संख्या सा.का.नि.6/संवि/अनु.309/2012-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यसपाइसके द्वारा, हरियाणा स्थातनीय लेखा परीक्षा विभाग गुप क सेवा नियम , 1980 , को आगे संशोधित करने के लिए निम्नुलिखित नियम बनाते हैं,अर्थात:-

1. ये नियम हरियाणा स्थांतीय लेखा परीक्षा विभाग ,गुप क सेवा (संशोधन) नियम , 2012 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा स्थाहनीय लेखा परीक्षा विभाग गुप क सेवा नियम , 1980 (जिसे , इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में , नियम 6 में , उप नियम (1) में , खण्डक (क) के स्थातन परनिम्न लिखित खण्ड0 प्रतिस्थासपित किया जाएगाअर्थात:-
“(क) निदेशक की दशा, में-
 - (i) संयुक्त निदेशकों में से पदोन्तित द्वारा; या
 - (ii) भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा सेवा , भारतीय राजस्व सेवा , भारतीय रक्षा लेखा सेवा , भारतीय सिविल लेखा सेवा , भारतीय रेलवे लेखा सेवा तथा डाक तथा तार लेखा सेवा अथवा भारत सरकार के किसी अन्या गुप क संगठित लेखा संवर्ग से सम्बान्धित अधिकारी से स्थाननातरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा वेतन बैंड 4 अर्थात् 37 ,400-67,000 जमा 8700 ग्रेड वेतन ले रहा हो।” ।
3. उक्ता नियमों में , परिशिष्ट6 क के स्थाधन परनिम्न लिखित परिशिष्ट प्रतिस्था पित किया जाएगा अर्थात :-

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA), FEB. 17, 2012
(MAGH. 28, 1933 SAKA)

“परिशिष्ट 9 क’

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	कुल	
1	2	3	4	5	6
1	निदेशक	1	---	1	वेतन बैंड-4,37400-67000 जमा 8700 ग्रेड वेतन
2	संयुक्त निदेशक	---	6	6	वेतन बैंड-3,15600-39100 जमा 7600 ग्रेड वेतन

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट- ख में, खाना 4 के नीचे, क्रम संख्या 1 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाएंगी अर्थात :-

“स्था नान्तेरण अथवा प्रतिनियुक्ति” द्वारा

- (i) भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय सिविल लेखा सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा तथा डाक तथा तार लेखा सेवा अथवा भारत सरकार के किसी अन्य भ्रुगुप क संगठित लेखा संवर्ग से सम्बन्धित अधिकारी से स्थातनातरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा वेतन बैंड 4 अर्थात् 37,400-67,000 जमा 8700 ग्रेड वेतन ले रहा हो,
- (ii) मैट्रिक स्तलर तक हिन्दी/ संस्कृत।

अजीत मोहन शरण,
वित्तीयोक्तल एवं प्रधान सचिव, रियाणा सरकार,
वित्ता विभागा